

असाधारए। EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ⁱ) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 229] नई दिल्ली, श्वनिवार, जून 1, 1985/ज्येष्ठ 11, 1907 No. 229] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 1, 1985/JYAISTHA 11, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में

रणा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

(1)

निर्णार्ण और आवास मंत्रालय नई दिल्ली, 22 मई, 1985 अधियुचना

मा. ा. नि. 472 (अ):---केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों ा प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु:---

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजन बोई नियम, 1985

अध्याय 1

 नाम----इन नियमों ा संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड नियम, 1985 है।

2. परिभाषाए--इन नियमों में, जब तहा ि. संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :--

(1) "अधिनियम" से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 अभिप्रोत है ;

283 GI/85

- (2) "प्ररूप" से इन नियमों में उपर्वाणत प्ररूप अभि-प्रेत है;
- (3) "निधि" से अधिनियम की धारा 22 के अधीन गठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड निधि अभिन्नेत है;
- (4) "सरःगर" से केन्द्रीय सरङार अभिन्नेत है;
- (5) "अनुसूची" से इत नियमों से अनुलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;
- (6) उन शब्दों ओर पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं िन्तु परिभाषित नहीं हैं और जो अधि-नियम में परिभाषित हैं, उनके कमश : वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में हैं।

अध्याय 2

बोर्ड ओर समिति का गठन

3. बोर्ड का गठन-थोर्ड जा गठत निम्तलिखित 21 सदस्यों मे मिलग्रर होगा :---

(ए) निर्माण ओर आवास का केन्द्रीय मंत्री जो बोर्ड का अध्यक्ष होगा;

- (ख) हरिपाणा का मुख्य मंत्री;
- (ग) राजस्थान का मुख्य मंत्री;
- (घ) उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री;
- (ड़) दिल्ली संध राज्यक्षेत्र का प्रशासक ;
- (च) (i) दो सदस्य (जिन्हें हरियाणा राज्य की सिफारिण पर सरकार ढारा नामनिर्देशित किंया जाएगा);
- (ii) दो सदस्य (जिन्हें राजस्थान राज्य की सिफारिश पर सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा);
- (iii) दो सदस्य (जिन्हें उत्तर प्रदेश राज्य की क्रिफारिश पर सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा);
- (iv) दो सदस्य (जिन्हें संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक की सिफारिज पर सरकार द्वारा नामनिर्देणित किया जाएगा);
- (छ) (i) सचिव भारत सरकार, निर्माण और आवास मंतालय;
- (ij) सचिव, भारत सरकार, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय:
- (iii) एक सदस्य जो ऐसा व्यक्ति होगा जिसे नगर योजना में ज्ञान और अनुभव है, जिसे सरकार ढारा नामनिर्देणित किया जाएगा;
- (ज) बोर्ड का एक पूर्णकालिक सदस्य सचिव जिसे भारत सरकार के संयुक्त सचिव की या उसके ऊपर की पंक्ति के अधिकारियों में से सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा ;
- (झ) चार अन्य सदस्य जिन्हें बोर्ड के कृत्यों और शक्तियों से सुसंगत उनके ज्ञान और अनुभव को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा।

4. बोर्ड के सदस्यों की अवधि—बोर्ड ा प्रत्येक सदस्य अपनी सदस्यता सरकार के प्रसाद पर्यन्त धारण करेगा। नियम 3 के खण्ड (च), खण्ड (छ) खण्ड (ज) और खण्ड (झ) के अधीन नामनिर्देशित बोर्ड के सदस्य पद पर तब तक बने रहें जब तक कि सरकार द्वारा नये नामनिर्देशन अधिसूचित नहीं कर दिए जाते हैं या सरकार, किसी अधिसूचना द्वारा किसी सदस्य के नामनिर्देशन को वापस नहीं ले लेती है; परन्तु खण्ड (च) के अधीन नामनिर्देशित सदस्यों की दशा में; उन्हें यथास्थिति, सम्बद्ध भाग लेने बाले राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक की सिफारिश के बिना नहीं हटाया जाएगा।

 निरईता-कोई भी व्यक्ति बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा या उस का सदस्य नहीं बना रहेगा;

- (क) यदि वह विकृतचित्त है और उसे किसी सक्षम न्यायालय ढारा इम प्रकार धोषित िया गयाहै;
- (ख) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है ;
- (ग) यदि वह भारत या नागरिय नहीं है ;
- (घ) यदि वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूमि के विज्यात के िसी आमराज में प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष रूप से हितबढ़ है।

6. त्यागपत——नियम 3 के खण्ड (च), खण्ड (छ) के उपखण्ड (jji) ओर खण्ड (i) के अधोन नामनिर्देशित कोई सदस्य अपनी सदस्यता में अध्यक्ष को उस आशय की एक सूचना देकर त्यागपत दे महता है और ऐसा त्यागपत उप तारीख से जव वह सरआर झरा स्वीओर किया जाता है, प्रभावी होगा।

7. रिक्तियां----जहां किसी सदस्य के त्यागपत्र, निर्र्हता, मृत्यु, हटाए जाने या अन्यथा के कारण पद में कोई रिक्ति होती है, वहां वह रिक्ति ऐसी रिक्ति होने के यथाशक्य शीध्र पश्चात नामनिर्देशन ढारा भरी जाएगी।

9. गैर सरकारी सदस्यों की फीस और भत्त --- (i) बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों को बोर्ड के प्रत्येक दिन के वास्तविक अधिवेशन के लिए ऐसी फीस का संदाय दिया जाएगा जी बोर्ड टारा समय-समय पर अवधारित की जाए।

(2) गैर-सरकारी सदस्य ऐमे प्रत्येक दिन के लिए जब वह यथास्थिति बोर्ड या समिति के कार्य में लगे हुए हैं सरकारी सेवकों को लागू नियमों के अधीन पहली श्रेणी के किसी सरकारी सेवक को अनुज्ञेय उच्चतर दर पर याता भत्ता और अन्य भत्ते प्राप्त करने के भी हकदार होंगे।

10. योजना समिति का गठन----योजना समिति का गठन निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर होगा :--

- (क) बोर्ड का सदस्य सचिव जो समिति का अध्यक्ष होगा ;
- (ख) संयुक्त सचिव भारत सरकार निर्माण और आवास मंत्रालय। जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से संबंधित कार्य के संबंध मे कार्यवाही कर रहा है;
- (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से संबंधित कार्य का भार साधक प्रत्येक भाग लेने वाले राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकार का सचिव;
- (घ) उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण ;
- (ङ) मुख्य योजनाकार, नगर और ग्राम योजना संगठन नई दिल्लो; और

् (च) प्रत्येक भाग लेने वाले राज्य का यथास्थिति, निदेशक, नगर और ग्राम योजना या मुख्य नगर योजनाकार ।

अध्याय 3

कामकाज का सचालन

11. बोर्ड के अधिवेशन---(1) बोर्ड साधारणतया कामकाज के संचालन के लिए प्रत्येक छह माह में कम से कम एक बार और ऐसे अन्य समयों पर भी अपना अधिवेशन करेगा जिसके लिए अध्यक्ष द्वारा अधिवेशन विशेष रूप से बुलया जाए।

(2) कोई अधिवेशन अगली या किसी पश्चात्वर्ती तारीख तक स्थगित किया जा सकेगा और स्थगित अधि-वेशन की ऐसी ही रीति में और आगे स्थगित किया जा सकेगा।

12. अधिवेशन और कामकाज की सूचना—साधारण अधिवं शन की कम से कम 15 दिन की सूचना और किसी विशेष अधिवेशन की कम से कम सात दिन की सूचना, जिसमें वह समय और स्थान विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब ऐसे किसी अधिवेशन का आयोजन किया जाना है, सदस्यों को दी जाएगी। साधारण अधिवेशन की दशा में, अधिवेशन में संचालित किए जाने वाला कामकाज अधिवेशन के कम से कम 7 दिन पूर्व सदस्यों को मेजा जाएगा और किसी विशेष अधिवेशन की दशा में संचालित किए जाने वाले काम-काज का उल्लेख अधिवेशन की सूचना के साथ-साथ किया जाएगा।

13. अधिवेशन में विचार-विमर्श के लिये मदों का सम्मिलित किया जाना---(1) ऐसा प्रत्येक सदस्य जो किसी मद को बोर्ड के किसी अधिवेशन की कार्य-सूची में सम्मि-लित कराने का इच्छुक है, उसे अधिवेशन की तारीख के कम से कम 15 दिन पूर्व सदस्य-सचिव को भेजेगा।

2) केवल ऐसी मदों को जो अध्यक्ष द्वारा सम्मिलित किए जाने के लिए अनुमोदित कर दी जाती हैं, कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाएगा।

14. गणपूर्षि— किसी अधिवेशन में कोई भी कामकाज तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम पांच सदस्य उपस्थित न हों। यदि किसी अधिवेशन में गणपूर्ति उपस्थित नहीं है, तो सभापतित्व करने वाला प्राधिकारी, 30 मिनट तक प्रतीक्षा करने के पश्चात् अधिवेशन को उसी दिन या अगले दिन किसी अन्य दिन को ऐसे समय के लिए स्थगित कर सकेगा जो वह ठीक समझे और ऐसे स्थगन की सूचना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के कार्यालय में सूचना-पट्ट पर लगा दी जाएगी और वह कामकाज जो मूल अधिवेशन के समक्ष उस दशा में प्रस्तुत किया जाना था, जब वहां सणपूर्ति होती, स्थगित अधिवेशन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और गणपूर्ति पर विचार किए बिना उसका निपटारा किया जाएगा। 15. सभापतित्व करने वाला अधिकारी (1) अध्यक्ष जब वह उपस्थित होगा, बोर्ड के अधिवेशनों में सभापतित्व करेगा ।

(2) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य स्वयं सदस्यों में से अधिवेशन का सभापतित्व करने वाला एक सदस्य निर्वाचित करेंगे।

(3) अध्यक्ष या यथास्थिति उसकी अनुपस्थिति में अधि-वेशन का सभापतित्व करने के प्रयोजन के लिये निर्वाचित सदस्य को मत बराबर होने के सभी मामलों में निर्णायक मत्र का अधिकार होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।

16. मतदान—िनयमों के अधीन जो अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय बोर्ड द्वारा विनिधिचत किए जाने के लिए अपेक्षित सभी विषयों का विनिचिय उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा।

17. कार्यवाहियां का कार्यवृत्त⊶-उपस्थित सदस्यों के नाम और अधिवेशन की कार्यवाहियां इस प्रयोजन के लिये प्रदान की गई एक पुस्तक में रखी जाएंगी, जिसमें ऐसे अधि– वेशन का सभापतित्व करने वाले अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और वह सभी युक्तियुक्त समयों पर किसी भी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रहेंगी।

18. सदस्यों द्वारा ऐसे विषयों पर मतदान न किया जाना जिनमें वे व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध हैं---बोर्ड का कोई सदस्य, बोर्ड के अधिवेशन में लाए गए किसी ऐसे प्रझ्न पर मतदान नहीं करेगा या विचार-विमर्ष में भाग नहीं लेगा यदि वह प्रश्न ऐसा है जिसमें उसका, इसके आम जनता को साधारणतया लागू होने के अलावा, अपने लिए या अपने संबंधियों के लिए कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धनीय हित है।

19. अधिवेशनों का संचालन—–(1) साधारण अधि– वेशन :– साधारण अधिवेशनों में कमकाज का संचालन निम्न-लिखित कम में किया जाएगा :–

- (क) पूर्व साधारण अधिवेशन के और ऐसे साधारण अधिवेशन के पश्चात् आयोजित किसी विशेष अधिवेशन के कार्यवृत्त पढ़े जाएंगे और उनकी पुष्टि की जाएगी।
- (ख) तब ऐसे पूर्व अधिवेशन में स्थगित कामकाज पर विचार किया जाएगा ;
- (ग) कार्य-सूची में सम्मिलित विषयों पर तस्प्रश्चात् विचार किया जाएगा;
- (घ) किसी अन्य मदों पर भी विचार किया जा सकेगा, यदि सभापतित्व करने वाले अधिकारी ने अनुमति प्रदान कर दी हो।

(2) विशेष अधिवेशन→-केवल ऐसे विशेष अधिवेशन में ऐसे कामकाज पर, जिस पर विचार करने के प्रयोजन के लिए विशेष अधिवेशन बुलाया गया है, विचार किया जाएगा। THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3(i)]

20. व्यवस्था के प्रश्न---व्यवस्था के सभी प्रश्न सभापतित्व करने वाले अधिकारी ढारा ऐसे विचार विमर्श से या उसके बिना विनिश्चित किये जायेंगे जो वह ठीक समझे और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

अध्याय 4

प्रशासन

21. सदस्य-सचिव--सदस्य-सचिव बोर्ड के कार्यालय का मुख्य कार्यपालक होगा और बोर्ड द्वारा नियुक्त सभो अधिकारी और कर्मचारी सदस्य-सचिव के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होंगे ।

22. आदेशों का अधिप्रमाणीकरण---वोर्ड द्वारा पारित सभी आदेश, दिए गए सभी अनुमोदन, की गई नियुक्ति, सदस्य-सचिव के हस्ताक्षर से संसुचित की जायेंगी।

अध्याय 5

प्रारूप और अन्तिम क्षेत्रीय योजना के प्रकाशन के लिए प्रत्रिया।

23. धारा 12 की उपधारा 1 के अधीन सूचना का प्ररूप—प्रारूप क्षेतीय योजना तैयार होने के यथाशक्य शीघ्र पश्चात्, बोर्ड प्ररूप "क" में एक सूचना प्रकाशित करेगा जिसमें प्रारूप क्षेतीय योजना के संबंध में आक्षेप और सुझाव आमंतित किये जायेंगे।

24. सूचना की रीति—–बोर्ड प्ररूप "क" में एक सूचना दिल्ली से प्रकाशित दो राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्नों में और प्रत्येक भाग लेने वाले राज्य की राज्य राजधानी के दो स्थानीय समाचारपत्नों में प्रकाशित करायेगा।

25. स्थानीय प्राधिकरण को सूचन — बोर्ड नियम 23 में निर्दिष्ट सूचना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालय में भिजवायेगा और ऐसा स्थानीय प्राधिकरण, ऐसी सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप क्षेतीय योजना के संबंध में कोई अभ्यावेदन बोर्ड को करेगा।

26. धारा 14 की उपधारा 2 के अधीन सूचना---नियम 23 से 25 के उपबंध अधिनियम की धारा 14 की उपधारा 2 के अधीन जारी की गई सूचना को, जहां तक हो सके लागू होंगे।

27. घारा 13 की उपधारा (1) के अधीन सूचना---बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय योजना को अंतिम रूप दिये जाने के यथाशक्यशीघ्र पश्चात्, प्ररूप "ख" में एक सूचना भारत सरकार के राजपत्न में और दिल्ली से प्रकाशित दो राष्ट्रीय समाचारपत्नों में भी तथा भाग लेने वाले राज्यों की प्रत्येक राज्य राजघानी के दो स्थानींय समाचारपत्नों में प्रकाशित की जायेगी जिसमें यह कथन होगा कि अंतिम क्षेत्नीय योजना तैयार कर ली गई है और निरीक्षण के लिये उपलब्ध है। अध्याय 6

बजट, लेखा और संपरीक्षा

28. बजट प्राक्कलन का प्ररूप—(1) आगामी वर्ष की वाबत वजट जिसमें बोर्ड की प्राक्कलित पावतियां और व्यय दर्शित किये जायेंगे, प्ररूप ''ग'', ''घ'', ''ड'' और ''च'' में तैयार किया जायेगा और प्रत्येक वर्ष 15 अक्तूबर तक सरकार को भेज दिया जायेगा ।

(2) ऐसे प्राक्कलनों के साथ चालू वर्ष के लिए पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन भी संलग्न होंगे।

(3) वजट, अनुसूची 1 में दिये गये लेखे शीर्षों पर आधारित होगा।

(4) वजट दो भागों में होगा, एक भाग राजस्व से और दूसरा पूंजी से संबंधित होगा।

29. बोर्ड को बजट प्राक्कलनों का प्रस्तुत किया जाना---(1) नियम 28(1) के अनुसार यथासंकलित बजट प्राक्कलन सदस्य-सचिव द्वारा प्रत्येक वर्ष अक्तूबर के पहले सप्ताह तक अनुमोदनार्थ बोर्ड के समक्ष रखे जायेंगे।

(2) बोर्ड द्वारा बजट प्राक्कलनों के अनुमोदन के पश्चात् अंतिम बजट प्रस्तावों की पांच प्रतियां जिसमें ऐसे उपान्तरणों का जो बोर्ड द्वारा विनिश्चित किये गये है, समावेश करके, प्रत्येक वर्ष अक्तूवर की पन्द्रह तक सरकार को भेजी जायेंगी।

30. स्थापन व्यय और नियत आवर्ती प्रभारों का प्राक्कलन—–नियत स्थापन पर व्यय का प्राक्कलन जिसके अन्तर्गत अवकाश वेतन और पेंशन अभिदाय तथा किराया, भत्ते अर्गद के मद्दे नियत मासिक आवर्ती प्रभार भी है, किसी प्रकार की कटौतों के बिना कुल मंजूर किये गये वेतन का उपबंध करेगा।

31. पुर्नीवनियोग और अतिशीघ व्यय——ऐसा कोई व्यय जो अनुमोदित बजट प्राक्कलन में किसी उपबंध के अन्तर्गत नहीं आता है या जिसके किसी शीर्ष के अधीन उपबंधित रकम से अधिक होने की संभावना है, बोर्ड द्वारा किसी अन्य शीर्ष के अधीन जिसके अधीन बचतपूर्ण रूप से स्थापित की गई है और उपलब्ध है, पुर्नीवनियोग द्वारा कोई उपबंध किए बिना उपगत, नहीं किया जायेगा:

परन्तु बचत का कोई पुर्नीवनियोग राजस्व से पूंजी में और पूंजी से राजस्व में अनुज्ञात नहीं होगा ।

4

[भाग II---खण्ड 3(i)]

33. लेखा और संपरीक्षा---(1) बोर्ड, अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन प्राप्त अनुदानों और उधारों, धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन प्राप्त धन--राशियों और धारा 22 की उपधारा (1) के खंड (ख) और (ग) के अधीन प्राप्त धनराशियों की बाबत बोर्ड के लेखाओं को पृथक रूप से बनाए रखेगा। लेखाओं के प्ररूप सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श से विनिद्धिष्ट किए जाएंगे।

(2) बोर्ड के लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में, जो सरकार द्वारा नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के परामर्श से विनिदिष्ट किया जाए, होगा।

(3) लेखाओं को भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा संपरीक्षा की जाएगी। तथापि भारत का नियंत्रक-महालेखा परीक्षक अपनी और से संपरीक्षा करने के लिए किसी प्रमुख लेखापरीक्षक की नियुक्ति का मुझाव दे सकेगा और तदुपरि ऐसा मुख्य लेखापरीक्षक नियंद्रक और महा-लेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निदेशों और मार्गदर्शनों के अनुसार लेखाओं की संपरीक्षा करेगा।

34. संहायता अनुदान---बोर्ड में भाग न व.ली राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या ऐसी राज्य सरकारों को जिनमें प्रत्या कर्षण क्षेत्र है और स्थानीय प्राधिकरण नगर विकास प्राधिकरणों, आवास बोर्डों और यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या संबंधित अन्य राज्य सरकार के ऐसे अन्य राज्य प्राधिकरणों को उप-क्षेत्रीय योजनाओं और परियोजनाओं प्लानों के कार्यान्वयन के लिए या प्रत्या-कर्षण क्षेत्र के विकास के लिए सहायता अनुदान मंजूर कर सकेगा।

35. सहायता अनुदान मंजूर करने के लिए प्रक्रिया-(1) (क) जब तक कि किसी मामले में बोर्ड अन्यथा निदेशित नहीं करता है, अनुदान मंजूर करने वाला प्रत्येक आदेश यह उपदर्शित करेगा कि क्या वह आवर्ती या अना-वर्ती प्रकार का है और स्पष्ट रूप से उस उद्देश्य को विनि-दिष्ट करेगा जिसके लिए वह दिया गया है और उस अनुदान के साथ लगाई गई शर्तें यदि कोई हों, का भी विनिर्देश किया जाएगा। विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए अमावर्ती अनु-दानों की दशा में आदेश उस समय-सीमा को भी विनि-दिष्ट करेगा जिसके अंतर्गंत अनुदान या उसकी प्रत्येक किश्त खर्च की जानी है।

(ख) सहायता अनुदान के संदाय के लिए आदेश इस प्रकार लिखा जाना चाहिए कि किसी विनिर्दिष्ट राशि के संदाय के लिए उसमें विनिर्दिष्ट निदेश हो और वह अनुदान सहायता अनुदान के प्रस्ताव का अनुमोदन करने वाले आदेश से सुभिन्न होना चाहिए।

2(क) किसी वित्तींय वर्ष के दौरान केवल उतना अनु-दान संदत्त किया जाएगा जितना उस वर्ष के दौरान खर्च किया जाना संभाव्य है। विनिर्दिष्ट निर्माण या सेवाओं जैसे भवनों, जल प्रदाय स्कीमों और वैसे ही अन्य कार्यों के लिए अनुदानों कीं दशा में संदाय कार्य की आवश्यकताओं के अनुसार प्राधिकृत किया जाना चाहिए । यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रकम अपेक्षाओं के अग्रिम रूप में नहीं निकाली जाती है । इन अनुदानों के संदाय के लिए मार्च के मास में भीड़ से बचा जाना चाहिए ।

(ख) जहां सहायता अनुदान के अंतर्गत एक समय में किया जाने वाला संदाय अंतर्वलित हो वहां वह जहां तक संभव हो दिसम्बर के अंत से पूर्व संदाय कर दिया जाना चाहिए। किसी अन्य दशा में, विक्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में ऐसे अनुदानों के संदाय के लिए भीड़ से बचा जाना चाहिए।

(3) किसी स्थानीय प्राधिकरण, नगर विकास प्राधि-करण, आवास बोर्ड या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अन्य प्राधिकरणों को अनुदान संदत्त किए जाने से पूर्व बोर्ड, संबंधित प्राधिकरण के लेखाओं के संपरीक्षित विवरणों की निम्नलिखित प्रतियां यह देखने के लिए अभि-प्राप्त करेगा कि सहायता अनुदान प्राप्तिकर्ता की वित्तीय स्थिति द्वारा न्यायोचित है और यह सुनिश्चित करेगा कि पूर्व अनुदान, यदि कोई हो, का खर्च उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया गया था जिनके लिए वे आशयित थे :-

- (i) पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए प्राधिकरण की प्राफ्ति और संदाय लेखे;
- (ii) पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए प्राधिकरण के आय और व्यय लेखे; और
- (iii) पूर्ण वित्तीय वर्ष के अंत में प्राधिकरण के लिए तुलन–पन्न, यदि कोई है।

36. उपयोग का प्रमाणपत — ऐसे मामलों में जिनमें स्थानीय प्राधिकरणों, नगर विकास प्राधिकरणों, आवास बोडों और राज्य सरकारों और संघ—राज्य क्षेत्र प्रशासनों के ऐसे अन्य प्राधिकरणों को मंजूर किए गए अनुदानों के उपयोग के साथ व्यय के विशेष अद्देश्यों के विनिर्देश के रूप में या उस समय के रूप में जिसके भीतर धन खर्च किया जाना चाहिए या अन्यथा कोई शर्त लगा दी गई है, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन बोर्ड को जहां आवश्यक हो, अनुदान के साथ लगी शर्तों का पालन प्रमाणित करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होगा।

37. सहायता अनुदान की शर्ते—-(1) जब तक कि बोर्ड ढारा अन्यथा आदेश न किया जाए, किसी विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए दिया गया प्रत्येक अनुदान निम्नलिखित विवक्षित शर्तों के अधीन है :--

- (j) यह कि अनुदान एक युक्तियुक्त समय के भीतर उद्देश्य पर खर्च किया जाएगा यदि उसके लिए बोर्ड ढार। कोई समय-सीमा नियत नहीं की गई है;
- (ii) यह कि रकम कः कोई भाग जो उस उद्देश्य पर व्यय के लिए अंततः अपेक्षित नहीं है, वोर्ड को सम्यक रुप से वापस लौटा दिया जाएगा।

(2) बोर्ड, उस रीति की बाबत जिसमें प्राप्तिकर्ता-निकाय के क्रियाकलापों का प्रवन्ध किया जाता है और अनु दानों का उपयोग किया जाता है, अपना समाधान करने के लिए, बोर्ड से सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले निकाय या प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा करने की अपेक्षा कर सकेगा।

38. उधार—–वोर्ड, राज्य सरकारों और संध राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्थानीय प्राधिकरणों, नगर विकास प्राधि-करण, आवास बोडों या यथास्थिति, राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र के ऐसे अन्य प्राधिकरणों को जो उप-क्षेत्रीय योजनाओं, परियोजना प्लानों को कार्यान्वित कर रहे हैं या किसी प्रत्याकर्षण क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, उधार मंजूर कर सकेगा।

39. उधार की णर्ते (1) उधारों को सभी मंजूरियों म ऐसे निबन्धन और शर्ते जिसके अतर्गत पुर्नसंदाय और ब्याज के संदाय के निबंधन और शर्ते भी हैं, विनिर्दिष्ट की जाएगी ।

(2) उधार लेने वालों से यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वे उनको दिए गए उधारों के लिए तय किए गए निबंधनों का सर्वदा पालन करेंगे। उनके पक्ष में किसी निबन्धन का उपातरण केवल विशप कारणों से बाद में किया जा सकता है।

40. ब्याज की संगणना--- (।) ब्याज ऐसी दर पर जो किसी विशेष उधार के लिए या संबधित वर्ष के किसी उधार के लिए बोर्ड ढ़ारा विनिर्दिप्ट की जाए, प्रमारित की जाएगी और सरकार ढारा समय-समय पर विहित ब्याज की दर बोर्ड ढ़ारा आवश्यक रूप से अपनाई जाएगी।

(2) उधार पर व्याज संदाय के दिन के लिए लगैगा न कि पुर्नसंदाय के दिन के लिए । किसी पूर्ण वर्ष की अपेक्षा में संक्षिप्त कालावधि के लिए, ब्याज निम्न प्रकार संगणित किया जाएगाः----

जव तक कि संगणना की कोई अन्य पद्धति किसी विशेष मामले या मामलों के वर्ग में बोर्ड ढ़ारा विनिर्दिष्ट न की जाए ।

41. उधार विषयक करार स्थानीय प्राधिकरणों, नगर विकास प्राधिकरणों, आवास बोर्डो और राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से भिन्न ऐसे अन्य प्राधिकरणों को उधारों की दशा में एक उधार विषयक करार जिसमें सभी निवन्धन और शर्ते विनिर्दिष्ट की जाएगी, निष्पादित किया जाएगा। ऐसे मभी करारों में अनिवार्य रूप से एक खण्ड अंत : स्थापित किया जाएगा जो बोर्ड को किसी लेखा वर्ष से संबंधित आवेदकों के लेखाओं को किसी भें समय मंगाने के लिए समर्थ करता हो और यदि आवश्यक हो तो आवेदकों की लेखा वहियों को निरीक्षण के लिए इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्त करने की शक्ति हो ।

+2. उधारों के लिए प्रतिभूति—स्थानीय प्राधिकरणों, नगर विकास प्राधिकरणों, आवास बोडों और राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से भिन्न ऐसे अन्य प्राधिकरणों को उधार केवल समुचित प्रतिभूति के विरूद्ध ही मंजूर किए जाएंगे। ली जान वाली प्रतिभूति साधारणतया उधार की रकम कम से कम 33—1/2 प्रतिशत अधिक होगी; परन्तु बोर्ड प्रतिभूति के बदले राज्य की प्रत्याभूति भी प्रतिग्रहीत कर सकेगा।

4.3. राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित किया जाना (1) उधार के संदाय के लिए आदेण इस प्रकार लिखा जाना चाहिए कि उसमें विनिर्दिष्ट घनराशि के संदाय के लिए विनिर्दिष्ट निदेश हों और वह उधार के किसी प्रस्ताव का अनु-मोदन करने वाले आदेशों से भिन्न होना चाहिए।

(2) ऐसे मामलों मैं जहां उधार प्राधिवारणों जैसे स्थानीय प्राधिकरणों, नगर विकास प्राधिकरणों, आवास बोडीं और रज्य सरकारो और संव राज्य क्षेत्र प्रणासनों से भिन्न ऐमे अन्य प्राधिकरणों को उधार मंजूर किया जाता है जिनमें विशेष उद्देश्य के विनिर्देश के रूप में या उस समय के रूप में जिसके भोतर धन खर्व किया जाना चाहिए या अन्यया के रूप में उधार कै उपयोग के लिए शर्त लगा दी गई है, वहां राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन उधार के साथ लगी शर्तो के पालन के लिए बोर्ड को प्रमाणित करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होंगे।

44 किस्तों में संदाय और अधिस्थगन--जब उधार किस्तों में निर्मुक्त किया जाता है तो इस प्रकार ली गई उत्रार की प्रत्येक किस्त को मूल के प्रतिसंदाय और उस पर ब्याज के संदाय के प्रयोजनों के लिए पृथक उधार के रूप में माना जाएगा सिवाए वहा के जहां किसी वित्तीय वर्ष के दौरान लो गई पुर्व किस्तों को इस प्रयोजनार्थ उस विशेष वित्तीय वर्ष के अन्त में एकल उधार के रूप में समेकित किए जाने के लिए अनुज्ञात किया गया है। पश्चातवर्ती मामले में, विभिन्न उधार की किस्तों पर प्रत्ये क किस्त प्राप्त करने की तारीख से लेकर उनके समेकन की तारीख तक विनिदिष्ट दर पर साधारण व्याज उधार लेने वाले द्वारा प्रयक रूग से संदेभ होगा। ययास्थिति प्रत्येक उधार या सनेकित उधार का प्रतिसंदाय और उस पर ब्याज के संदाय को प्रतिवर्ष उधार लेने वाले द्वारा उधार लैने या उसके सतेका को वार्षिक तारोख को या उससै पूर्व उतनी किस्तों में जितनो बोर्ड विनिदिष्ट करे, व्यवस्था की जाएगी। बोर्ड, उचित मामलों में मूल के प्रतिसंदाय के लिए अधिस्थगन को अनुज्ञा दे सकता है न कि ब्याज के संदाय के लिए यदि यह प्रतोत हो कि कि तो उबार को अन्तिम बिस्त लेने में ऋगो की ओर सं सम्बक बिलंब हआ है तोबोर्ड किसी भी समय ऋणो को गन्द घोषित कर सकता और गुरू में

6

पूंजी के प्रतिसंदाय का आदेश दे सकता है। बोर्ड के लेखाओं का भारसाधक अधिकारी हुए ऐसे किसी विलंब को बोर्ड की दृष्टि. में लाएगा जिसके बारे में उसे यह प्रतीत होता हो. कि उसे इस उपचार की अपेक्षा है और वह यह कार्य-वाई करेगा कि क्या किस्तों के लेने के लिए कोई तारीख नियत की गई है या नहीं।

45. संदाय में व्यतिक्रम ---(1) सभी मामलों में उधार मंजूरियों और स्थानीय प्राधिकरणों, नगर विकास प्राधिकरणों, आवास बोर्डों और ऐसे अन्य प्राधिकरणों की दशा में अन्तर्गत अतिशोध्य ब्याज या मूल और करार के व्याज के उद्ग्रहण का ब्याज की किस्तों पर शास्तिक अनिवार्य रूप से एक उपबंध सम्मिलित किया जाना चाहिय । स्थानीय प्राधिकरणों, नगर विकास प्राधिकरणों, आवास बोर्डों और राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के ऐसे अन्य बोर्डों की दशा में उधार मंजूरियों और करारों के अन्तर्गत व्याज की अनिवार्य रूप में उच्चतर दर अनुबंधित की जानी चाहिये और नियमित संदायों की दशा में ब्याज की निम्नतर दर का उपबंध किया जाना चाहिये। यथास्थिति, ब्याज की शास्तिक या उच्चतर दर बोर्ड के विशेष आदेशों के अधीन के सिवाय, बोर्ड द्वारा अग्रिम दिये गये उधार के लिए समय-समय पर विनिर्दिष्ट ब्याज की सामान्य दर से अधिक 2 1/2 प्रतिशत प्रति वर्ष से कम नहीं होगी।

(2) उधार पर ब्याज के संदाय में या मूल के प्रति-संदाय में हुए किसी व्यतिक्रम की बोर्ड के लेखाओं के भार साधक अधिकारी द्वारा तुरन्त रिपोर्ट दी जायेगी।

46. लेखें और नियंत्रण—-ऐसे साधारण और विनिदिष्ट निदेशों के अधीन रहते हुए जो नियंत्रक और महा-लेखा-परीक्षक ढारा दिये जा,ये बोर्ड ढारा दिये गये अनुदानों और उधारों के विस्तृत लेखे, लेखाओं के भारसाधक अधिकारी ढारा बनाये रखे जायेंगे जो उनकी वसूली पर भी निगरानी रखेगा और यह देखेगा कि हर एक उधार के साथ लगाई गई शर्तों का पालन किया गया है।

47. उधारों और अग्रिमों का वार्षिक विवरण---(1) बोर्ड के लेखाओं का भारसाधक अधिकारी बोर्ड को एद वार्षिक विवरण प्रस्तुत दुरेगा जिसमें "बोर्ड द्वारा उधार और अग्रिम" शीर्षक के अधीन उसकी लेखा वहियों में दर्ज बकाया उधारों के व्यय दशित दिये जायेंगे।

(2) बोर्ड का भारसाधक अधिकारी बोर्ड को एक वार्षिक विवरण भी प्रस्तुत करेगा जिसमें "बोर्ड ढारा प्राप्त उधार और अग्रिम" शीर्षक के अधीन बोर्ड ढारा प्राप्त बकाया उधारों के ब्यौरे दर्शित झिये जायेंगे । विवरण प्ररूप "ज" में प्रस्तुत किया जायेगा ।

अध्याय – ७

प्रकीर्ण

48. वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने का प्ररूप और समय----पिछली समाप्त वर्ष की बाबत वार्षिक रिपोर्ट में जिसमें पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड के कियाकलापों का सही और पूर्ण लेखा जोखा होगा, अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी और वह प्रति वर्ष 15 मई तक सरकार को प्रस्तुत की जायेंगी।

[सं० के०-14011/15/84-एन०सी०आर०]

आर० एल० प्रदीप, संयुक्त सचिव

प्ररूप क

(नियम 23 देखिए)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड नियम, 1985 के नियम 23 के साथ पठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की घारा 12 की उपधारा (1) के अधीन सूचना दी जाती है कि:---

(1) (क) क्षेत्रीय योजना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है; और

(ख) उसकी एक प्रति (------) पर स्थित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के कार्यालय में सभी कार्य दिवसों को 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक इसमें इसके पक्ष्चात् पैरा 3 में वर्णित तारीख तक निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेगी।

(2) प्रारूप क्षेतीय योजना के लिये आक्षेप सुझाव आमंवित किये जाते हैं ।

(3) आक्षेप और सुझाव (-----) पर स्थित सदस्य-सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजन बोर्ड को------तारीख से पूर्व लिखित रूप में भेजे जा सकेंगे।

आक्षेप या सुझाव देने वाले किसी व्यक्ति को अपना नाम और पता भी देना चाहिये।

स्थान : नई दिल्ली सदस्य सचिव, तारीख : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

(ख) उसकी एक प्रति(----) पर स्थि দ্বरूप ख राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के कार्याल (नियम 27 देखिए) में सभी कार्य दिवसों का 11 बजे पूर्वाह्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड नियम, 1985 के वजे अपराह्न तक निरीक्षण के लिये उपलब नियम 27 के साथ पठिन राष्ट्रीय राजधानी योजना बोई रहोगी। अधिनियम, 1985 के नियम 13 के उपनियम (1) स्थान : नई दिल्लो सदस्य सचिव, के अधीन सूचना दो जाती है किः ---(1) (क) अन्तिम क्षेतीय योजना तैयार हो गई है, और तारीख : राब्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बो

प्ररूप ग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

वर्ष 19 के लिये विस्तृत बजट प्राक्कलन

प्रशासन (व्यय)

(नियम 28 देखिए)

वास्तविक व्यय की तुलना में पुनरीक्षिक प्राक्कलन 19---ग्रौर बजट प्राक्कलन 19-----दर्णित करने वाला विवरण

वेतन, यात्ना भत्ता कार्यालय व्यय – म्रादि जैसे व्यय के उद्देण्य		ه ده په اک که په ده		11 110	ग्रन्तिम वास्तविक सात मास 19	चालू वर्ष 19 के पहले पांच मास वास्तविक		वर्षे 19⊶– के लिये पुनरीक्षित प्राक्कलन	वर्ष 19 के लिये प्रस्तावित बजट प्राक्कलन	स्तंभ 5, स्तंभ 9 ग्रौर 9 ग्रौर 10 के बीच फेर-फार के कारण ।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्ररूप घ

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड स्थापन

वर्ष 19-- 19- के लिये ग्रधिकारियों ग्रौर स्थापनों के वेतन के लिये प्रस्तावित उपबंध के ब्यौरों का विवरण।

(नियम 28 देखिए)

नाम क्रौर पदाभिधान					स्तंभ 3(ग) में दर पर वर्ष के लिये उपबंधित रकम	वेन	न वृद्धि	होने व:सी	उपबंध ग्रर्थात्	टिप्पणी
		वर्ष 1 ग्रप्रैल को सम्बन्धित व्यक्ति को देय वास्तविक वेतन				वेतन वृद्धि को	चेतन वृद्धि की	वर्ष के लिये	- रतम 4 आर 4(ग) का योग	
		(क)	(ख)	(ग)	-	का तारीख (क)	क। दर (ख)	वेतन वद्धि की रकम (ग)		
	2		3			 5	 5		6	

प्ररूप ङ

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

अभिहित नामावली

(नियम 28 देखिए)

ग्रार-ई 19---19/बी-ई 19---19

नाम और पदाभिधान	वेतन	महंगाई भत्ता	नगर प्रति- करात्मक भत्ता	मकान किराया भत्ता	ग्रतिकाल भत्ता	बच्चों का शैक्षिक भत्ता	ग्रवकाण याला रियायत	ग्रन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्ररूप च

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यौजना बोर्ड

नामित रोल्स के उद्धरण

(नियम 28 देखिए)

1- 3- 19 को वास्तविक मंजूर कौं गई संख्या	पदों की विशि- ष्टियां	19-19- के लिए बजट ग्रनुदान 19-	•.	पुनरे क्षित प्राक्कलन	T 19	बजट प्राक्कल	न 19 –	19 मंजूर किए गए बजट, ग्रनुदान, पुनरीक्षित प्राक्कलन और बजट
		सम्मिलित पदों की संख्या	वेतन थ्रौर भत्ते	सम्मिलित पदों के। संख्या	वेतन ग्रौर भत्ते	सम्मिलित वेत पदों की संख्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

have been a second and a second a		
	। ग्रधिकारी/	
	(क) भरे गए पद	
	(ख) रिक्त पद कुल ፲ ग्रधिकारी	
	2- Ⅲ ग्रस्थापन	
	(क) भरे गए पद	
	(ख) रिक्त पद	
	3- वर्ग- 4	
I	(क) भरे गए पद	
	(ख) रिक्त पद	
	कुल III वर्ग IV	
कुल योगः	:1, 3ुग्रौर3	
283 GI/85-	_2	

प्ररूप छ

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

बोर्ड द्वारा मंजूर किए गए उधार/ ग्रप्निमों का विवरग

वित्तीय वर्ष 19

[नियम 47 (1) देखिए]

	मंजूर जिन्म नग		उधार/ग्रग्रिम को स्वर्धकाल		इस वर्ष कुल चर्तिच्च		मूल का प्र	गतिसंदाय		ā	याज का संदाय	
ध्राग्रम गप्त करने वाण व्यत्ति/ पक्षकार का नाम			को प्राधिकृत करने वाले ग्रादेश की मंख्या ग्रौर तारीख	वर्ष से म्रति शेष	ग्रग्रिम दी गई रकम	वर्ष के दौरान प्रति संदाय की किस्तों ग्रीर पूर्तिक वर्षों के संबंध में णोध्य किस्तों की बकाया यदि कोई है, (ग्रंव को वर्ष वार दर्शित कीजि	दौरान प्रति- मंदत्त मूल की रकम	मूल के प्रति- संदाय में व्यतिकम की रकम (स्तंभ ९ स्तंभ 9) (ग्रंक वर्ष वा दणित कीजिप	,	पुनर्विलोकन के ग्रधीन वर्ष के लिए ग्रौर उस तक गोध्य व्याज की रकम	वर्षे के दौरान प्राप्त ग्रौर राजस्व में जमा ब्याज की रकम	ग्रसंदत्त ब्याज का ग्रति– ग्रेष
 L	2	3	4	5	6 7	8	9	10	11	12	13	14

पाद टिप्पण

1- वर्षं के दौरान समेकिन उधार की रकम स्तंभ 6 में भी उपदर्शित की जाएगी।

2- वर्ष के दौरान व्यख्टिक किस्त की बाबत प्राप्त और संदत्त साधारण व्याज स्तंम 13 में विणिज्ट किस्तों के सामने उनदर्णित किया जा सकेगा।

प्ररूप ज

राष्ट्रेय राजधाने, क्षेत्र योजना बोर्ड

बोई द्वारा प्राप्त उधार/ग्रग्रिमों का विवरण---वित्तीय वर्ष 19-----

[नियम 47 (2) देखिए]

उायर∕ग्रग्रिम ───	प्राप्त ———	ब्याज न्योज	उधार∕ चिंच चरे	पिछले र्न्ज न	वर्ष के 	कुल	म्र	ल को संद	त्तय		ब्याज	त का संदाय	
प्राप्त करने वाले व्यक्ति/ पक्षकार: का नाम	उधार/ त्रग्रिम रक़म	क [े] दर	अग्रिम को प्राधिकृत करने वाले आदेशों क संख्या ग्रौर तारे ख	वर्ष का अति- जेप	दौंरान प्राप्त रकम	-	म्रौर पूर्विक	वर्ष के दौरान प्रति- संदत्त मूल की रकम	मूल के प्रति- संदाय में व्यत्तिकम को रकम स्तंभ 8 स्तम्भ 9) (श्रंकों को वर्ष वार दर्शित को.जिए)	वर्षं के अंत में उधार/ त्रग्रिम का प्रतिशेष (स्तंम्भ स्तंभ 9)	पुनर्विलोकन के श्रधे न वर्ष के लिए ग्रीर उस तक शोध्य व्याज कं। 7 रकम	वर्ष के दौरान संदत्त श्रौर राजम्व में जुमा के गई ब्याज की रकम	ग्रमंदत्त ब्याज का ग्रति- गेष
1	2	3	-4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

11

ग्रनुसूची --I

रार्प्ट्रेय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड बजट ग्रौर लेखा श.र्ष [नियम 28 देखिए] प्रशासन लेखा श.र्ष (व्यय)

- 1. वेतन
- मजदूरी
- 3. यात्रा व्यय
- 4. कार्यालय व्यय
 - (क) फर्नीचर
 - (ख) डाक महसूल
 - (ग) कार्यालय मर्श न/उपस्कर
 - (घ) वर्दियां
 - (ङ) ग्रं.ष्म/शंत मौसम प्रभार
 - (च) दूरभाष
 - (छ) विद्युत ग्रौर जल प्रभार
 - (ज) लेखन सामग्रं।
 - (झ) मुद्रण
 - (ञ) स्टाफ कार ग्रौर ग्रन्थ यान
 - (ट) ग्रन्य मदें।
- 5. फीस और मानदेय
- 6. वृत्तिक और विशेष सेवाओं के लिए संदाय
- 7. किराया, दरें और कर/स्वामिस्व
- 8. प्रकाशन
- 9. विज्ञान, विकय और प्रचारव्यय
- 10. उधार/सहायता अनुदान/अभिदायं/सहायकी
- 11. ग्रातिध्य व्यय, सत्कार भत्ता ग्रादि
- 12. ग्रपलिखित करना/हानियां
- 13. उचंत
- 14. अन्य प्रभार (अवशिष्ट शीर्ष, इसके अन्तर्गत पुरस्कार और इनाम भी सम्मिलित होंगे) ।
- 1. केन्द्रीय सरकार द्वारा संदाय
- 2. फीस
- 3. जुर्माना ग्रौर ग्रन्य प्राप्तियां

ग्रनुसूची--- 2

लेखा श र्ष (प्राप्तियां) ्

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड राष्ट्रीय राजधानी योजना बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप (नियम 48 देखिए) वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट यप्रैल 19---- मार्च 19- --

- 1. प्राक्कथन
- 2. बोर्ड का गठन जिसके ग्रन्तर्गत उसमें किए गए परिवर्तन भी हैं।
- 3. बोर्ड के ग्रधिवेशन
- 4. योजना समिति का गठन जिसके अन्तर्गत उसमें किए गए परिवर्तन भी हैं।
- 5. योजना समिति के अधिवेशन
- 6. विभिन्न उपक्षेत्रों में कियाकलाप के ब्यौरे।
- 7. धारा 8 की उपधारा (च) के ग्रधीन चुने हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर है--नगरीय क्षेत्रों में कियाकलाप क ध्योरे।

MINISTRY OF WORKS & HOUSING

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 1985

G.S.R. 472 (E).:-In exercise of the powers conferred by section 36 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules, namely:--

THE NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD RULES, 1985

Chapter I

1. Title :-- These rules may be called the National Capital Region Planning Board Rules, 1985.

2. Definations:—In these rules, unless the context otherwise requires :—

- (1) "Act" means the National Capital Region Planning Board Act, 1985;
- (2) "Form" means a form set forth in these rules;
- (3) "Fund" means the National Capital Region Planning Board Fund constituted under section 22 of the Act;
- (4) "Government" means the Central Government;
- (5) "Schedule" means a schedule appended to these rules;
- (6) Words and expressions used in the rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

Chapter II

CONSTITUTION OF THE BOARD AND THE COMMITTEE

3. Constitution of the Board:—The Board shall consist of the following 21 members:—

- (a) the Union Minister of Works and Housing who shall be the Chairman of the Board;
- (b) the Chief Minister of Haryana;
- (c) the Chief Minister of Rajasthan;
- (d) the Chief Minister of Uttar Pradesh;
- (e) the Administrator of the Union Territory of Delhi;
- (f) (i) two members (to be nominated by the Government on the recommendation of the State of Haryana);

(ii) two members (to be nominated by the Government on the recommendation of the State of Rajasthan);

(iii) two members (to be nominated by the Government on the recommendation of the State of Uttar Pradesh);

(iv) two members (to be nominated by the Government on the recommendation of the Administrator of the Union Territory);

(g) (i) Secretary to the Government of India in the Ministry of Works and Housing;

(ii) Secretary to the Government of India, Department of Expenditure, Ministry of Finance;

(iii) one member who shall be a person having knowledge and experience in town planning, to be nominated by the Government;

- (h) a full-time Member-Secretary of the Board to be nominated by the Government from amongst officers of, or above, the rank of a Joint Secretary to the Government of India;
- (i) four other members to be nominated by the Government having regard to their knowledge and experience relevant to the functions and powers of the Board.

4. Terms of the Members of the Board:—Every member of the Board shall hold his membership at the pleasure of the Government. The members of the Board nominated under clause (f), clause (g), clause (h) and clause (i) of rule 3 shall continue in office unless fresh nominations are notified by the Government or the Government, by a notification withdraws the nomination of any member; provided that in the case of members nominated under clause (f) shall not be removed except on the recommendation of the participating State concerned, or as the case may be, the Administrator of the Union Territory.

5. Disqualification:—No person shall be appointed as, or continue to be a member of the Board :

- (a) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court;
- (b) if he is an undischarged insolvent ;
- (c) if he is not a citizen of India;
- (d) if he is interested, directly or indirectly in any business of development of land in the National Capital Region;

6. Resignation :- Any member nominated under clause (f), sub-clause (iii) of clause (g) and clause (i) of rule 3, may resign his membership by giving a notice to that effect to the Chairman and such resignation shall take effect from the date of it is accepted by the Government.

7. Vacancies :---Where a vacancy occurs in the office of a member by reason of resignation, disqualification, death, removal or otherwise, the vacancy shall be filled as soon as may be after the occurrence of such vacancy, by nomination.

8. Conditions of service of the Member-Secretary :---The salaries, allowances and conditions of service of the Member-Secretary shall be such as may be determined by the Government.

9. Fees and Allowances to non-official members:--(1) Non-Official members of the Board shall be paid such fee as may be determined by the Board, from time to time, for each day of the actual meeting of the Board.

(2) Non-Official members shall also be entitled to draw travelling allowance and other allowances for each day he is engaged in the work of the Board or he Committee, as the case may be, at the highest rate admissible to a Government servant of the first grade under the rules applicable to the Government servants.

10. Constitution of the Planning Committee:—The Planning Committee shall consist of following members :—

- (a) the Member-Secretary to the Board who shall be chairman of the Committee;
- (b) the Joint Secretary to the Gouernment of India in the Minstry of Works and Housing dealing with the work relating to the National Capital Region Planning Board;
- (c) Secretary to the Government of each participating State and the Union Territory in charge of the work relating to the National Capital Region Planning Board;
- (d) the Vice Chariman, Delhi Development Authority;
- (e) the Chief Planner, Town and Country Planning Organisation, New Delhi; and
- (f) the Director, Town and Country Planning or the Chief Town Planner, as the case may be, of each participating State.

Chapter III

CONDUCT OF BUSINESS

11. (1) Meetings of the Board:—The Board shall ordinarily meet at least once in every six months for the transaction of business and also at such other times as a meeting may be specially convened by the Chairman.

(2) Any meeting may be adjourned until the next or any subsequent date and an adjourned meeting may be further adjourned in like manner.

12. Notice of meeting and Business:—Not less than 15 days' notice of an ordinary meeting and not less than 7 days' notice of a special meeting specifying the time and place at which such a meeting is to be held shall be given to the members. In case of an ordinary meeting, the business to be transacted in the meeting will be sent to the members at least seven days before the meeting and in the case of a special meeting the business to be transacted will be mentioned alongwith the notice for the meeting.

13. Inclusion of items for discussion in the meeting:—(1) Every member who wishes to have any item to be included in the Agenda in a meeting of the Board shall send the same to the Member-Secretary at least 15 days before the date of the meeting.

(2) Only those items which are approved by the Chairman for inclusion will be included in the Agenda.

14. Quorum:—No business shall be transacted at any meeting unless at least five members are present. If at any meeting quorum is not present, the presiding authority shall, after waiting for thirty minutes, adjourn the meeting to such hour on the same or following day or some other day as he may think fit and a notice of such adjournment shall be affixed on the notice board in the office of the National Capital Region Planning Board and the business which was to have been brought before the original meeting had there been a quorum shall be brought before the adjourned meeting and may be disposed of irrespective of the quorum.

15. Presiding Officer:-(1) The Chairman, when present, shall preside over the meetings of the Board.

(2) In the absence of the Chairman, the members present shall elect from amongst themselves a member to preside over the meeting.

(3) The Chairman or in his absence the member elected for the purpose of presiding over the meeting, as the case may be, shall have and exercise the right of a casting vote in all cases of equality of votes.

16. Voting:—Save as otherwise provided under the rules, all matters required to be decided by the Board shall be decided by the majority of votes of the members present.

17. Minutes of proceedings:—The names of the members present and the proceedings of the meeting shall be kept in a book to be provided for this purpose

which shall be signed by the Presiding Officer of such a meeting and shall at all reasonable times be open to inspection by any member.

18. Members not to vote on matters in which they are personally interested.—No member of the Board shall vote or take part in the discussions on any questions coming up for consideration at the meeting of the Board if the question is one in which, apart from its general application to the public, he has any direct or indirect pecuniary interest for himself or his relatives.

19. Conduct of meetings.—(1) Ordinary meetings:— At an ordinary meeting, business shall be conducted in the following order:—

- (a) The minutes of the previous ordinary meeting and any special meeting held after such ordinary meeting shall be read and confirmed;
- (b) the business postponed at the previous meeting shall then be considered;
- (c) subjects included in the agenda shall thereafter be considered;
- (d) any other items may also be considered if permitted by the Presiding Officer.

(2) Special meetings.—At a special meeting only the business for the purpose of considering which the special meeting has been called shall be considered.

20. Points of order.—All points of order shall be decided by the Presiding Officer with or without discussions as he may deem fit and his decision shall be final.

CHAPTER IV

ADMINISTRATION

21. Member-Secretary.—The Member-Secretary shall be the Chief Executive of the office of the Board and all the officers and employees appointed by the Board shall be under the administrative control of the Member-Secretary.

22. Authentication of orders.—All orders passed approvals given and appointments made by the Board shall be conveyed under the signature of the Member-Secretary.

CHAPTER V

PROCEDURE FOR PUBLICATION OF DRAFT AND FINAL REGIONAL PLAN

23. Form of notice under sub-section 1 of section 12.—As soon as may be after the draft regional plan has been prepared, the Board shall publish a notice

in Form 'A' inviting objections and suggestions with respect to the draft Regional Plan.

24. Manner of notice.—The Board shall cause the notice in Form 'A' to be published in two nationa daily newspapers published from Delhi and two local newspapers each from the State Capital of each participating State.

25. Notice to local authority.— The Board shall also cause the notice referred to in rule 23 to be sent to the office of every local authority within the National Capital Region and such local authority may within a period of thirty days from the date of such notice, make any representation with respect to the draft Regional Plan to the Board.

26. Notice under sub-section (2) of section 14.— The provisions of rules 23 to 25 shall apply, as far as may be, to the notice issued under sub-section 2 of section 14 of the Act.

27. Notice under sub-section (1) of section 13.— As soon as may be, after the Regional Plan has been finalised by the Board, a notice in Form 'B' shall be published in the Official Gazette of the Government of India and also two national newspapers published from Delhi and two local newspapers each from the State Capital of the participating States, stating that the final Regional Plan has been prepared and is available for inspection.

CHAPTER VI

BUDGET, ACCOUNTS AND AUDIT

28. Form of budget estimates.—(1) The budget in respect of the year next ensuing showing the estimated receipts and expenditure of the Board shall be prepared in Forms 'C', 'D', 'E' and 'F' and forwarded to the Government by the 15th October each year.

(2) Such estimates shall be accompanied by the revised budget estimates for the current year.

(3) The budget shall be based on the account heads given in Schedule I.

(4) The budget shall be in two parts; one part relating to Revenue and the other to Capital.

29. Submission of budget estimates to the Board.— (1) The budget estimates as compiled in accordance with rule 28(1) shall be placed by the Member-Secretary before the Board by the first week of October each year for approval.

(2) After approval of the budget estimates by the Board, five copies of the final budget proposals incorporating therein such modifications as have been decided upon by the Board shall be forwarded to the Government by the 15th of October each year. 30. Estimates of establishment expenditure and fixed recurring charges.—The estimates of expenditure of fixed establishment which will also include leave salary and pension contributions as well as fixed monthly recurring charges on account of tent allowances, etc., shall provide for the gross sanctioned pay without deductions of any kind.

31. Reappropriations and emergent expenditure.--No expenditure which is not covered by a provision in the approved budget estimates or which is likely to be in excess over the amount provided under any Head shall be incurred by the Board without provision being made by reappropriation from some other Head under which savings are firmly established and available:

Provided that no reappropriation of savings shall be permitted from revenue to capital and vice versa.

32. Opening of an account and operation of fund of the Board.—The Fund of the Board shall be kept in a current account with any branch of the State Bank of India to be opened in the name of "The National Capital Region Planning Board" and shall be operated by the Member-Secretary of the Board or any officer authorised by him in this behalf.

33. Accounts & Audit.—(1) The Board shall maintain the accounts of the Board separately with regard to the grants and loans received under subsection (1) of the section 21, sums received under sub-section (2) of section 21 and sums received under clauses (b) and (c) of sub-section (1) of section 22 of the Act. The forms of accounts will be specified by the Government in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

(2) The annual statement of accounts of the Board shall be in such forms as may be specified by the Government in consultation with the Comptroller and Auditor General.

(3) The accounts shall be audited by the Comptroller and Auditor General of India. However, Comptroller and Auditor General of India may suggest the appointment of a primary Auditor to conduct audit on his behalf and there upon such Primary Auditor shall audit the accounts in accordance with the directions and guidelines issued by the Comptroller and Auditor General.

34. Grants-in-Aid.—The Board may sanction grants-in-aid to the participating State Governments or the Union territory administration or the State Governments having a counter-magnet area and the local authorities, urban development authorities, housing boards and such other authorities of the State Government or the Union territory or other State Government concerned as the case may be, for implementing the sub-regional plansard project plans or for developing the counter-magnet area.

35. Procedure for sanctioning grants-in-aid.--

- (1)(a) Unless in any case the Board directs otherwise, every order sanctioning a grant shall indicate whether it is recurring or nonrecurring in nature and specify clearly the object for which it is given and the conditions, if any, attached to the grant. In the case of non-recurring grants for specific objects, the order shall also specify the time limit within which the grant or each instalment of it is to be spent.
- (b) An order for the payment of a grant-in-aid should be so worded that there is a specific direction for the payment of a specified sum and should be distinguishable from an order approving a proposal for a grant-in-aid.
- (2)(a) Only so much of the grant shall be paid during any financial year as is likely to be expended during the year. In the case of grants for specific works or services such as buildings, water supply schemes and the like, payments should be authorised according to the needs of the work. It shall be ensured that money is not drawn in advance of requirements. A rush for payments of these grants in the month of March should be avoided.
- (b) Where grant-in-aid involves one time payment it should be paid, as far as possible, before the end of December. In any case, rush towards payments of such grants in the last quarter of the financial year should be avoided.

(3) Before a grant is paid to any local authorities, urban development authorities, housing boards or such other authorities of the State Governments and Union territory administration, the Board shall invariably obtain the following set of audited statements of accounts of the authority corceined in order to see that grant-in-aid is justified by the financial position of the grantee and to ensure that previous grants, if any, was spent for the purpose for which it was intended :--

- (i) the receipt and payment accounts of the authority as a whole for the financial year;
- (ii) the income and expenditure accounts of the authority as a whole for the financial year; and
- (iii) the Balance Sheet, if any, as at the end of the financial year for the authority as a whole.

36. Certificate of utilisation.—In cases in which conditions are attached to the utilisation of grants sanctioned to local authorities, Urban development authorities, Housing boards and such other authorities of the State Government and the Union territory administration in the form of specification of particular objects of expenditure or the time within which money must be spent, or otherwise, the State Government and the Union territory administration shall be primarily responsible for certifying to the Board where necessary, the fulfilment of the conditions attaching to the grant.

37. Conditions of grant in aid.-(1) Unless it is otherwise ordered by the Board, every grant made for a specific object is subject to the implied conditions :---

- (i) that the grant shall be spent upon the object within a reasonable time, if no time-limit has been fixed by the Board:
- (ii) that any portion of the amount which is not ultimately required for expenditure upon that object shall be duly surrendered to the Board.

(2) In order to satisfy itself regarding the manner in which the affairs of the recipient body are managed and the grants are utilised, the Board may require the accounts of the body or authority in receipt of a grant-in-aid from the Board to be audited.

38. Loans.—The Board may sanction loans to the State Governments and the Union territory administration or to the local authorities, Urban development authority, Housing Boards or such other authorities of the State Governments or the Union territory, as the case may be, which are implementing the sub-regional plans and the project plans or developing a counter-magnet area.

39. Conditions of loan.-(1) All sanctions of loans shall specify the terms and conditions including the terms and conditions of repayment and payment of interest.

(2) The borrowers shall be required to adhere strictly to the terms settled for the loans made to them. Modifications of the terms in their favour can be made subsequently only for special reasons.

40. Calculation of interest.-(1) Interest shall be charged at such rate as may be specified by the Board for any particular loan or for the class of loans concerned and the rate of interest prescribed by the Government from time to time shall invariably be adopted by the Board.

(2) A loan shall bear interest for the day of payment but not for the day of repayment. Interest for any

shorter period than a complete year shall be cal culated as:-

No. of days \times Yearly rate of interest

365

Unless any other method of calculation is specified by the Board in any particular case or class of cases.

41. Loan agreement.—In the case of loans to local authorities, urban development authoritie housing boards and such other authorities othe than the State Governments and the Union territor administration, a loan agreement specifying all th terms and conditions shall be executed. A claus shall invariably be inserted in all such agreement enabling the Board at any time to call for accounts of the applicants relating to any accounting year witl power to depute an officer specially authorised for this purpose to inspect the applicant's books, if nece ssary.

42. Security for loans.-Loans to Local authorities, urban development authorities, housing boards and such other authorities other than the State Govern. ments and the Union territory administration shal be sanctioned only against adequate security. The security to be taken shall ordinarily be at least 33 1/3per cent more than the amount of loan; provided that the Board may accept a State guarantee in lieu of the security.

43. State Government to certify.--(1) An order for the payment of a loan should be so worded that there is a specific direction for the payment of a specified sum and should be distinguishable from orders approving a proposal for loan.

(2) In cases where loans are sanctioned in favour of authorities, such as local authorities, urban development authorities, housing boards and such other authorities, other than the State Governments and the Union territory administration in which conditions are attached to the utilisation of loan, either in the shape of the specification of the particular objects on or the time within which the money must be spent or otherwise, the State Government and the Union territory administration shall be primarily responsible for certifying to the Board the fulfilment of the condition attaching to the loan.

44. Payment in instalments and moratorium ---When a loan is released in instalments, each instalment of the loan so drawn shall be treated as a separate loan for purposes of repayment of principal and payment of interest thereon except where the previous instalments drawn during a financial year are, for this purpose, allowed to be consolidated into a single loan as at the end of that particular financial

year. In the latter event, simple interest at the specified rate on the various loan instalments from the date of drawal of each instalment to the date of their consolidation shall be separately payable by the borrower. Repayment of each loan or the consolidated loan, as the case may be, and the payment of interest thereon shall be arranged by the borrower annually on or before the anniversary date of drawal or consolidation of the loan in such number of instalments as the Board may specify. The Board may allow, in deserving cases, a moratorium towards repayment of principal but not for the payment of interest. But should it appear that there is an undue delay on the part of the debtor in taking out the last instalment of a loan, the Board may at any time declare the loan closed and order repayment of capital to begin. The officer in charge of accounts of the Board shall bring to the notice of the Board any delay that appears to him to require this remedy and he shall take this step whether there are any dates fixed for taking of instalments or not.

45. Default in payment.-(1) The loan sanctions in all cases and the agreement in the case of local authorities, urban development authorities, housing boards and such other authorities should invariably include a provision for the levy of penal interest on over-due instalments of interest or principal and interest. The loan-sanctions and agreements in the case of local authorities, urban development authorities, housing boards and such other authorities of State Governments and Union territory administration should invariably stipulate a higher rate of interest and provide for lower rate of interest in the case of punctual payments. The penal or the higher rate of interest, as the case may be, shall not, except under special orders of the Board, be less than 2 1/2 per cent per annum above the normal rate of interest specified by the Board from time to time for the loans advanced.

(2) Any default in the payment of interest upon a loan or in the repayment of principal, shall be promptly reported by the officer in charge of accounts to the Board.

46. Accounts and control.—Subject to such general or specific directions as may be given by the Comptroller and Auditor General, detailed accounts of grants and loans given by the Board shall be maintained by the officer in charge of the accounts who shall also watch their recovery and see that the conditions attached to each loan are fulfilled.

47. Annual statement of loans and advances.— (1) The officer in charge of accounts of the Board shall submit to the Board an annual statement showing the details of the outstanding loans borne on his 283 GI/85-3 books under the Head "Loans and Advances by the Board". The statement shall be submitted in Form 'G'.

(2) The officer in charge of the accounts of the Board shall also submit to the Board an annual statement showing the details of the outstanding loans received by the Board under the Head "Loans and Advances received by the Board". The statement shall be submitted in Form 'H'.

CHAPTER VII

MISCELLANEOUS

48. Form and time of submission of Annual Report.— The Annual Report in respect of the year last ended giving a true and full account of the activities of the Board during the previous financial year shall contain the particulars specified in Schedule II and shall be submitted to the Government by the 15th of May each year.

[No. K. 14011/15/84-NCR] R.L. PARDEEP, Jt. Secy.

FORM A

(See Rule 23)

NOTICE UNDER SUB-SECTION 1 OF SECTION 12 OF THE NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD ACT, 1985 READ WITH RULE 23 OF THE NATIONAL CAPITAL RE-GION PLANNING BOARD RULES, 1985

Notice is hereby given that:---

(1) (a) The draft of the Regional Plan has been prepared; and

(2) Objections and suggestions are hereby invited to the draft regional plan.

(3) Objections and suggestions may be sent in writing to the Member-Secretary, National Capital Region Planning Board at _______ before the ______day of ______

Any person making the objections or suggestions should also give his name and address.

MEMBER SECRETARY

Place : New Delhi

NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD

Dated :

FORM B

(See Rule 27)

Notice under Sub-section 1 of Section 13 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 read with Rule 27th of the National Capital Region Planning Board Rules, 1985

Notice is hereby given that:--

(1)(a) The final Regional Plan has been prepared; and

(b) A copy thereof will be available for inspection in the office of the National Capital Region Planning Board situated at-

on all working days from 11 A.M. to 3 P.M.

Place : New Delhi.

Dated :....

MEMBER SECRETAR NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD.

FORM C

NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD

Detailed Budget Estimates for the year 19----

ADMINISTRATION (Expenditure)

(See Rule 28)

Statement showing the revised estimates 19----and budget estimates 19----vis-a-vis the actual expenditure

Objects of expendi- ture like salaries travel expenses, office expenses, etc.		for the yea		Sanction- ed budget grant	Last seven months actuals	First five months actuals of current year 19—	Anticipated expenditure for the remaining seven months of the year 19	Revised estimates for the year 19—	Proposed budget estimates for the year 19—	Reasons for varia- tions between col. 5 col. 9 and 9-10.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

FORM D NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD ESTABLISHMENT

Statement of details of provision proposed for pay of officers/Establishment for the year 19-19-

(See Rule 28)

Name and lesignation	Reference to page of estimate form	Minimum-	l pay of the -maximum- son concert	-actual pay	Amount of provi- sion for	Increment the year	it falling du	e within	Total provision for the	Remarks
		•	ril next year		the year at the rate in col 3(c)	Date of incre- ment (a)	Rate of incre-	Amount of incre-	year i.e. total of	
		(a)	(b)	(c)			ment (b)	ment for the year (c)	columns 4 and 4(c)	
1	2		3		4		5		6	7

FORM E NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOÁRD NOMINAL ROLLS

(See Rule 28)

R.E. 19-19-/B.E. 19-19

Name and esignation	Pay	Dearness Allowance	City compensa- tory allowance	House Rent Allowa	Overtime Allowance nce	Children Educational allowance	Leave Travel Concession	Other allowance	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Total

FORM F

NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD

Abstract of Nominal Rolls

(See Rule 28)

Actual sanctioned strength	Particulars of posts	Sanctione grant 19	d Budget -19	Revised Es 19	stimates –19	Budget E 19	stimate -19	Explanation fo difference
1-3-19—		No. of posts included	Pay and allowances	No. of posts included	Pay and allowances	No. of posts included	Pya and allowances	between sanctioned Budget Grant, Revised Estimate and budget estimates
1	2	3	4	5	6	7	8	7
	I. Officers (a) Posts filled (b) Posts vacant Total—I Officers							
	II. Establishments(a) Posts filled(b) Posts vacant							
	 III. Class IV (a) Posts filled (b) Posts vacant Total—III Class I 	v						
	Grant total I, II ar	nd III		una				

FORM G

÷.,

NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD

Statement of Loan/Advances sanctioned to the Board

Financial year 19----[See Rule 47 (1)]

Name	Amount			Balance		To-	R	epayment o	of principal		Payme	ent of inter	est
of person/ party receiv- ing the loan/ advance	of loan/ advance sanc- tioned		date of orders autho- rising the loan/ advan- ces	from last year	ad- vanced this year	tal	Instal- ments of repay- ment during the year and arrears of instal- ments due relating to earlier years, if any (figures to be shown year-wise		Amount of defaults in repay- ments of principal (col. 8-9) (figures to be shown yearwise)	the year (Col. 7 & Col. 9)	Amount of interest due for and upto the year under review	Amount of interest received and credited to revenue during the year	Balance of interess unpaic
	2	3	4		6	7	8	9	10			13	

Foot Note :

1. The amount of loan consolidated during the year shall also be indicated in Column 6.

2. Simple interest recovered in respect of individual instalments paid during the year may be indicated against the particular instalments in Column 13.

FORM H

NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD

Statement of loans/advances received by the Board-Financial year 19----

[See Rule 47(2]

Name of	Amoun		No		Amount Total	Fotal	Repayment of principal				Payment of interest		
person/ party receiving the loan/ advance	of loan/ ad- vance recei- ved	of in1e!est	and date of orders autho- rising loan/th advand		rece- ived during the year		Instal- ments of repay- ment during the year and arrears of instal ments du relating to earlier years if any (figures to be shown year-wise	princi- pal re- paid during the year e	Amount of de- faults in repay- ments of prin- cipal (Cols-8-9) (figures to be shown year-wise)	Balance A of loans/ advances at the close of the year (Col. 7- Col. 9)	of in-	of interest i paid and credite to re- venue during	of interest un paid d
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

SCHEDULE I

NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD

BUDGET AND ACCOUNT HEADS

(See Rule 28)

ADMINISTRATION

HEAD OF ACCOUNTS (Expenditure)

- 1. Salaries
- 2. Wages
- 3. Travel Expenses
- 4. Office Expenses
 - (a) Furniture
 - (b) Postage
 - (c) Office Machine/Equipment
 - (d) Liveries
 - (e) Hot and cold weather charges
 - (f) Telephones
 - (g) Electricity and water charges
 - (h) Stationery
 - (i) Printing
 - (j) Staff car and other vehicles
 - (k) Other items
- 5. Fee and Honorarium
- 6. Payment for professional and special services
- 7. Rents, rates and taxes/royalty
- 8 Publications
- 9. Advertising, Sales and Publicity Expenses
- 10. Loans/Grants-inKaids/Contributions/Subsidies.
- 11. Hospitality expenses/Sumptuary allowances, etc.
- 12. Write off/Losses
- 13. Suspenses
- 14. Other charges (A residuary head, this will also include regards and prizes)

HEADS OF ACCOUNT (Receipts)

- 1. Payment by Central Government
- 2. Fees
- 3. Fines and other receipts

SCHEDULE II

NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD

Form of annual report of the National Capital Region Planning Board

(See Rule 48)

Annual Report for the financial year April 19---- March 19----

1. Introductory

- 2. Constitution of the Board including changes therein
- 3. Meetings of the Board
- 4. Constitution of the Planning Committee including changes therein
- 5. Meetings of the Planning Committee
- 6. Details of the activities in the various sub-regions
- 7. Details of activities in urban areas outside the National Capital Region selected under sub-section (f) of Section 8.